

IN THE COURT OF SUB-DIVISIONAL MAGISTRATE, SADAR CHAIBASA

Misc. Case No. 80/2022 of 20

खेम कुमार झा
Opposite party

Section of the Indian Penal Code or other law ... U/s-144 Cr.P.C

Date of the Decision of the original Court ...

Date of decision of Appellate or Revisional Court ...

TABLE OF CONTENTS

1	2	3	4	5	6
Serial number of Paper	Sheets	Description	Value of Court fee Stamps	Period for which to be preserved	Remarks
01-02	02	ऑफिस बुक			
03-05	03	ऑफिस की फाइल			
06	01	डुलिफ जॉय प्रिंटेड			
07-10	04	प्रथम फल का अपील की दायजदारी			
11	01	फांक - 242/- ग्रां. फांक - 29/06/22			
12	01	जाफांक - 279/- ग्रां. फांक - 13/07/22			
13	01	हाजिरी			
14	01	वकालतनामा			
15-24	10	हाजिरी एवं द्वितीय फल का बंलग कागज की दायजदारी			
25	01	वकालतनामा			
26-27	02	हाजिरी			
28-43	16	प्रथम द्वितीय फल का कारण पुच्छ एवं बंलग कागज			
44	01	फांक - 242/- ग्रां. फांक - 29/06/22			

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, सदर चाईबासा।

3

मिस वाद सं० 80/2022

द०प्र०स० की धारा 144

श्री रमेश कुमार शर्मा

बनाम

श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई बाद में टिप्पणी सहित
	<p>उक्त वाद की कार्रवाई प्रथम पक्ष रमेश कुमार शर्मा, पे० – स्व० शिव पूजन शर्मा, सा० – गुटूसाई, थाना – मुफ्फसिल, जिला – प०सिंहभूम चाईबासा एवं द्वितीय पक्ष के सदस्य वीरेन्द्र कुमार शर्मा, पे० – स्व० शिव पूजन शर्मा, सा० – गुटूसाई, थाना – मुफ्फसिल, जिला – प०सिंहभूम चाईबासा के द्वारा पुलिस प्रतिवेदन पर अनुसूची में वर्णित भूमि को लेकर द०प्र०स० की धारा 144 के अन्तर्गत प्रारंभ की गई। उभय पक्ष को लिखित कथन दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।</p> <p>उक्त वाद में उभय पक्ष एक ही परिवार के सदस्य हैं। वाद में विवाद का कारण खाता सं० – 142, प्लॉट न० – 191, कुल रकवा – 06 डी० भूमि पर मकान निर्माण को लेकर है। उभय पक्ष को अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय से कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु निर्देश दिया गया है। इस संदर्भ में द्वितीय पक्ष के सदस्य विरेन्द्र कुमार शर्मा की ओर से दिनांक 19.07.2022 को कारण पृच्छा एवं वाद बिन्दु दाखिल किया गया। वाद में Sale Ded No – 1583, Dated 04.06.1993 में विक्रेता श्रीमती शांति शर्मा, पति – श्री गोपाल शर्मा से उभय पक्ष की माता क्रेता रूपा देवी, पति – शिव पूजन शर्मा के द्वारा उक्त भू-खण्ड क्रय किया गया है, साथ ही उक्त वाद में द्वितीय नामान्तरण शुद्धि पत्र केस न० – 124/R27/2019-20 संलग्न किया गया है। उक्त शुद्धि पत्र में भू-खण्ड का क्रेता का नाम विरेन्द्र शर्मा बताया गया है तथा विक्रेता शांति शर्मा को दर्शाया गया है।</p> <p>उक्त के आलोक में प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 08.08.2022</p>	

2

को कारण पृच्छा दाखिल किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया है कि विवादित जमीन द्वितीय पक्ष के द्वारा धोखा-धाड़ी कर सम्पत्ति हड़पने का कोशिश कर रहा है, जो मां के मृत्यु के बाद दोनों पक्षों की संयुक्त सम्पत्ति होनी चाहिए। इस संबंध में प्रथम पक्ष के द्वारा अन्य किसी प्रकार का कागजात न्यायालय में जमा नहीं किया गया है।

वाद में अद्योहरस्ताक्षरी के द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर चाईबासा की प्रतिनियुक्ति कर स्थल निरीक्षण कराया गया था। स्थल निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष के द्वारा मकान निर्माण किया जा रहा था। न्यायालय में वाद प्रारंभ होने से पूर्व ही मकान निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया था। स्थानीय लोगों द्वारा पूछताछ के क्रम में पता चला कि उक्त भू-खण्ड में पूर्व में विरेन्द्र शर्मा का खप्परा-पोस मकान था। बारिश के कारण खप्परा-पोस मकान जर्जर होने के कारण उक्त भूमि पर खप्परा पोस मकान को तोड़कर पक्का मकान का निर्माण किया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने बतलाया कि उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष के सदस्य कई वर्षों से रह रहे हैं। प्रथम पक्ष के बारे में पूछा गया तो बतलाया गया कि सरायकेला-खरसावा जिला में रहा रहे हैं। वर्तमान में द्वितीय पक्ष पड़ोस में रह रहे हैं।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस एवं दलील सुनने तथा वाद में जमा दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि

1. खाता न0 - 142, प्लॉट न0 - 191, कुल रकवा - 06 डी0 भूमि का केवाला सं0 - 1558 जो शांति शर्मा द्वारा रूपा देवी को बेचा गया।
2. रूपा देवी के दो पुत्र हैं। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष सहोदर भाई हैं।
3. द्वितीय पक्ष द्वारा दाखिल नामान्तरण शुद्धि पत्र में Deed No - 27, Dated- 07.04.2017 द्वारा उक्त खाता/प्लॉट में


✓

6.55 डिसमिल जमीन दर्शाया गया है, जबकि जमीन 0.6 डिसमिल ही है। द्वितीय पक्ष के द्वारा Deed No - 27, Dated- 07.04.2017 की प्रति नहीं दिखा पाये, जिससे अस्पष्टता प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि भूमि रूपा देवी के नाम से हैं। अतः वादी उनके पुत्र हैं। मामला हक एवं अधिकार का है।

उपरोक्त तथ्यों एवं प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि पर दोनो पक्ष आपसी सहमति बनाते हुये मकान निर्माण कर सकते हैं। यदि उभय पक्ष को भूमि का बंटवारा एवं भूमि पर मकान निर्माण से आपत्ति है तो पार्टीशन सूट के लिये सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। जबतक सक्षम न्यायालय में फैसला नहीं हो जाता, तबतक दोनों पक्ष उक्त भूमि पर यथास्थिति बनाये रखेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर दोनों पक्षों से प्रतिबंध करवाते हुये विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

इस आदेश के साथ वाद का निष्पादन किया जाता है।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
सदर चाईबासा।